जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स गुरूजी माईन्स एवं मिनरल्स, प्रस्तावित खनन परियोजना (मेसनेरी स्टोन) का एम एल नम्बर 12/2023 (रैफेरेन्स नम्बर 20231000089688), क्षेत्रफल 4.0418 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 6,98,000 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 09.1366 हैक्टेयर के खसरा नम्बर 1809 निकट ग्राम– टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान) की क्लस्टर मय खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 26.05.2025 को सुबह 11:30 बजे कार्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र, टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1383 दिनांक 23.04.2025 एवं क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–सीकर/एसकेआर– पीएच–23/171–178 दिनांक 24.04.2025 के अनुपालना में मैसर्स मैसर्स गुरूजी माईन्स एवं मिनरल्स, प्रस्तावित खनन परियोजना (मेसनेरी स्टोन) का एम एल नम्बर 12/2023 (रैफेरेन्स नम्बर 20231000089688), क्षेत्रफल 4.0418 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 6,98,000 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 09.1366 हैक्टेयर के खसरा नम्बर 1809 निकट ग्राम– टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 26.05.2025 को आयोजित की गई।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है।**

जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र **राजस्थान पत्रिका** के संस्करण नीमकाथाना में दिनांक 26.04.2025 एवं **दैनिक उद्योग आस–पास** के संस्करण में दिनांक 25.040.2025 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।**

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने जन सुनवाई के प्रावधान, उदेदश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स वितास्ता इन्वायरो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर की तकनीकी सलाहकार श्री नदीम के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियत्रण मण्डल, सीकर एवं श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

तत्पश्चात् जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति/सुझाव प्रकट किये गये जो कि निम्नानुसार है :-

1. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना द्वारा इकाई प्रतिनिधि से प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में जानकारी चाही गयी कि खनन परियोजना में काम आने वाला पानी कहां से आयेगा, ध्वनि प्रदूषण कम करने के क्या प्रयास किये जायेगें, कुल पूंजी लागत राशि व्यवसायिक पर्यावरण उत्तदायित्व में कितने वर्षों में खर्च की जायेगी, पेड़–पौधे ग्राम पंचायत में कहां लगाये जायेगें। 33 प्रतिशत हरित पट्टी विकसित की जानी चाहिए लेकिन सामान्यतः पेड़–पौधे नहीं लगाये जाते है, वर्षाऋतु का संरक्षण कैसे किया जायेगा एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए क्या करोगें, दुर्घटना बीमा के लिए क्या करोगें, समय के साथ नवीनिकरण हों, मजदूरों को डस्ट मास्क देना अनिवार्य करें, मजदूर कहां से लिये जायेगें, खनन परिवहन के लिए क्या करोंगे, परिवहन के दौरान रोड़ी एवं पत्थर रास्तों में गिरते रहते है जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। खनन के दौरान चलने वाली ऑवरलोडिंग गाड़ियों के लिए क्या किया जायेगा, अग्निशमन सुविधाओं के लिए क्या करोगें, मजदूरों के स्वास्थ्य जांच हेतु क्या किया जायेगा, गांव के हित का ध्यान रखें। खनन पट्टाधारी श्री सिताराम यादव द्वारा बताया गया कि ग्रामीणों के सहयोग से टैंकर सप्लाई के द्वारा पानी की व्यवस्था की जायेगी। खनन पट्टाधारी द्वारा बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण के नियमानुसार निर्धारित मानको के अनुरूप ही किया जायेगा, व्यवसायिक पर्यावरण उत्तदायित्व में खर्च खनन अवधि के अनुसार प्रति वर्ष किया जायेगा, खनन पट्टाधारी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत के आस–पासे के क्षेत्र में लगाये जायेगें एवं उनका संरक्षण ट्री–गार्ड लगाकर किया जायेगा, वर्षाऋतु के संरक्षण हेतु ग्राम पंचायत के आस–पास वर्षा का पानी बावड़ी एवं तालाब में एकत्रित किया जायेगा एवं वन्यजीव के संरक्षण हेतु वनविभाग के साथ योजना बनाकर वनक्षेत्र में पानी की टंकी व खेळ बनाये जायेगें, दुर्घटना बीमा के लिए समूह में बीमा करवायें जायेगें एवं समय के साथ नवीनिकरण करवाये जायेगें। मजदूरों की सुरक्षा के लिए नियमानुसार जैसे हेल्मेट, डस्ट मास्क, जूते आदि दिये जाकर अनिवार्य रूप से काम में लेना सुनिश्चित किया जायेगा। खनन कार्य हेतु स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। खनन परिवहन के दौरान मिनरल को कवर करके ही ले जाया जायेगा एवं ऑवरलोडिंग नहीं की जायेगा, अग्निशमन की सुविधाओं के लिए फायर फाईटिंग उपकरण लगाया जायेगा, मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच के लिए

समय–समय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जायेगा एवं खनन परियोजना में गांव के हित का ध्यान रखा जायेगा।

2. श्री मंगल सिंह, टोडा द्वारा जानना चाहा गया कि यहां खनन कार्य किया जायेगा तो स्थानीय लोगो का रोजगार क्या होगा।

   जिस पर पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोगों को योग्यतानुसार रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगा॥

3. श्री सुनिल कुमार रोहिला, टोडा द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना से आने–जाने वाले रास्तों पर उड़ने वाली धूल के लिए पानी का छिड़काव के लिए पानी कहां से लाया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि गांव के पास ही खनन क्षेत्र में वर्षाऋतु के पानी को एकत्रित कर ही काम में लिया जायेगा।

4. श्री दीपक कुमार रोहिला, टोडा द्वारा चाहा गया कि कितने पेड़–पौधे लगाये जायेगें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि नियमानुसार आवश्यक पेड़–पौधे लगाये जायेगें तथा इस खनन परियोजना हेतु 1334 पेड़–पौधे लगाये जायेगें।

पुनः सभी ग्रामवासियों से आग्रह किया कि यदि उन्हें इस परियोजना से किसी प्रकार की कोई सुझाव/आपत्ति हो तो मौखिक व लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान इस खनन परियोजना से सम्बन्धित अन्य कोई लिखित सुझाव/आपत्तियां प्राप्त नहीं हुये।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद कहा एवं जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा के साथ जनसुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई तथा जन सुनवाई के पश्चात् इकाई प्रतिनिधि के द्वारा पधारे हुए सभी ग्रामवासियों को एक–एक पेड़ भेंट किये गये।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

(भागीरथ साख)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (राज.)
नीम का थाना
नीमकाथाना

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सनुवाई

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स गुरूजी माईन्स एवं मिनरल्स, एम एल नम्बर 12/2023 (रेफरेन्स नम्बर 20231000089688) क्षेत्रफल 4.0418 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 698000 टन प्रति वर्ष खसरा नम्बर 1809 निकट ग्राम टोडा तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर में मैसेनरी स्टोन जोकि माईनिंग कलस्टर जिसका क्षेत्रफल 9.1366 हेक्टेयर बनता है। जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1383 दिनांक 23.04.2025 के द्वारा उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक **26.05.2025 (सोमवार)** को **प्रातः 11:30 बजे**, स्थान– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर** में निर्धारित की गई।

स्थान :– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर**

दिनांक :– **26.05.2025** समय :– **सुबह 11.30 बजे (सोमवार)**

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	कार्यालय SDM ADM NKT	[illegible]
2.	Danita, RO, RSPCB, Sikar	Danita
3.		
4.		
5.	दीपक कुमार / पवन कुमार - टोडा	[illegible]
6.	सुनील कुमार रोहिल्ला S/o श्री पवन कुमार	[illegible]
7.	सीताराम कुमावत S/o श्री नारायण राम टोडा	सीताराम कुमावत
8.	मुकेश कुमार S/o श्री [illegible] टोडा	[illegible]
9.	विष्णु पुजारी टोडा	[illegible]
10.	[illegible] टोडा	[illegible]
11.	[illegible]	[illegible]
12.	मंगल सिंह S/o [illegible] सिंह टोडा	मंगल सिंह

13	सोहनलाल / ओमकार (टोडा)	सोहनलाल
14	पुष्कर गुर्जर / दुर्गाप्रसाद टोडा	पुष्कर
15	योगेन्द्र सिंह / रामकुमार सिंह (टोडा)	योगेन्द्र सिंह
16	[illegible] टोडा	[illegible]
17	समीर नायक S/o रतन लाल नायक टोडा	Samr
18	चैनसिंह S/o रामसिंह टोडा	चैनसिंह
19	कृष्ण सिंह S/o श्री मान सिंह टोडा	कृष्ण सींह
20	भंवरलाल S/o [illegible] टोडा	भंवर MIM
21	सुरेश चन्द S/o कन्हैयालाल टोडा	सुरेश चन्द
22	गोविन्द S/o राम [illegible] टोडा	[illegible]
23	मेघराज गुर्जर S/o ठाकुर प्रसाद टोडा	[illegible]
24	मुकेश कुमार / श्री ~~[illegible]~~ ओंकार मल टोडा	मुकेश
25	राहुल यादव / रतनलाल यादव टोडा	राहुल यादव
26	किशन यादव / होशियार सिंह यादव टोडा	किशन यादव
27	मेहरा मीणा / [illegible] मीणा टोडा	मेहरा
28	रामस्वरूप / [illegible] गुर्जरिया टोडा	रामस्वरूप
29	रिन्कू यादव / [illegible] यादव टोडा	Rinku yadav ~~[illegible]~~
30	दिलीप गुर्जरिया / [illegible] गुर्जरिया टोडा	दिलीप गुर्जरिया
31	नदीम चतुर्वेदी / जयपुर	Nadeem Chaturvedi
32	रवेंदु बैरवा / जयपुर	[illegible]

33.	प्रकाशचन्द / लल्लाराम कुमावत - रोड़ा	प्रकाश चन्द
34.	धुड़मल नायक / रतनलाल नायक - रोड़ा	धुड़मल
35.	सुभाष कुमार श्री भाकर मल रोड़ा	सुभाष
36.	रमेश / S/o श्री रामजीवाल रोड़ा	[illegible]
37.	लोकेश श्री जोरु राम रोड़ा	लोकेश
38.	विजेन्द्र सिंह / श्री तंवर सिंह रोड़ा	VS Tanwar
39.	जीवन राम वर्मा / प्रभु दयाल रोड़ा	जीवनराम वर्मा

सीकर पत्रिका

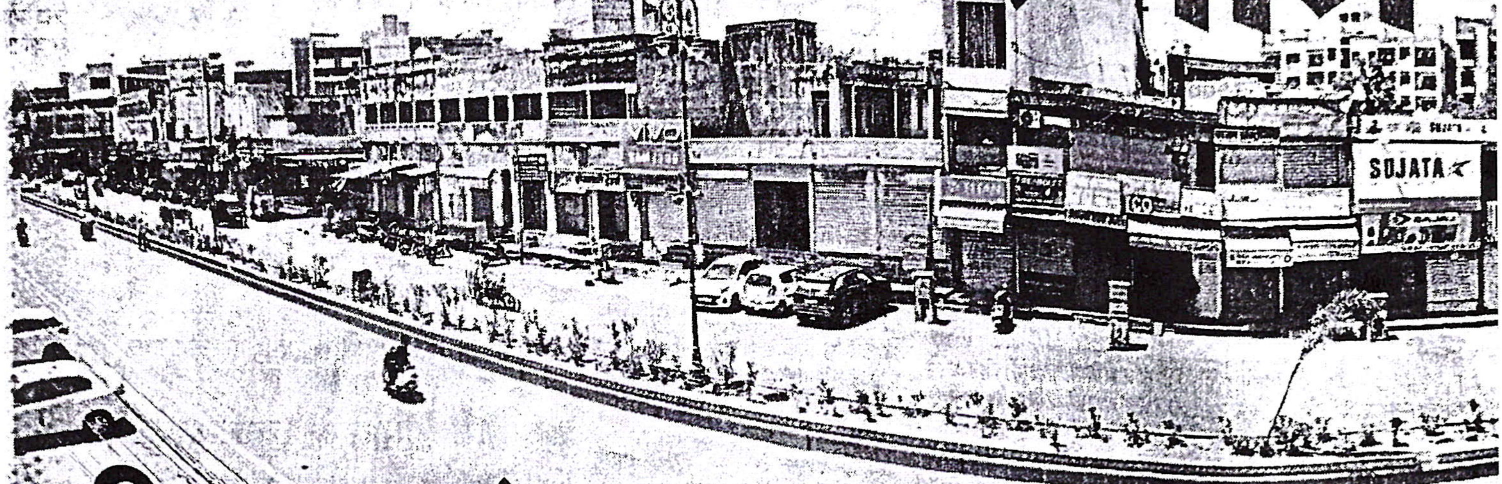

सीकर बंद

80 करोड़ का व्यापार हुआ बंद से प्रभावित

1500 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती रही

015 से ज्यादा संगठनों ने बंद को दिया समर्थन

12 लाख के जेवरात व पौने चार लाख रुपए की नकदी ले उड़े चोर

लोहे की खिड़की तोड़ अंदर घुसे, लोहे की तिजोरी को उठाकर 300 मीटर दूर ले गए और इत्मीनान से की चोरी

खाटूश्यामजी, सीकर. खाटूश्यामजी क्षेत्र मगनपुरा में चोरों ने एक ही रात में दो मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दोनों ही घरों की लोहे की व सीमेंट की खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसे। चोर महेश कुमार सोनी के घर से करीब 12.50 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात व 3.70 लाख रुपए की नकदी ले गए। वहीं दूसरे मकान में कोई लोहे की भारी चीज नीचे गिरने से तेज आवाज हुई, घरवाले जागे तो चोर भाग छटे। पुलिस आसपास के

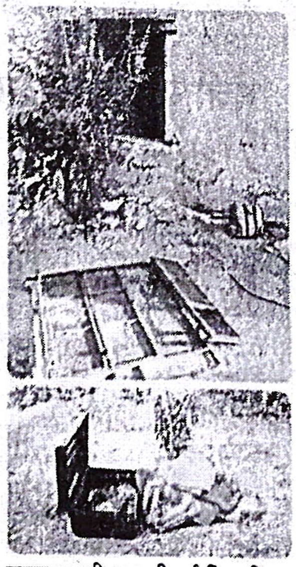

खाटूश्यामजी. उखाड़ी गई खिड़की व जंगल में फेंका बक्सा।

आतंकवाद के खि

सुबह हिंदू संगठनों का बंद... श

पहलगाम में आतंकवादी हमले के खिलाफ सीकर ने भरी हुंकार

सीकर. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का आक्रोश शुक्रवार को सीकर बंद के रूप में उबला। विहिप व बजरंग दल के सीकर बंद के आह्वान पर सीकर मुख्यालय सहित नीमकाथाना, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ व रामगढ़ शेखावाटी बंद रहे। जनभावनाएं ऐसी थी कि सीकर शहर में मुख्य बाजारों के अलावा गली-मोहल्लों के व्यापारिक प्रतिष्ठान भी स्वेच्छा से बंद रहे। चुनिंदा खुले तो उन्हें बंद समर्थकों ने बंद करवा दिया। इस दौरान मोहल्ला कारीगरान में विवाद की स्थिति भी बनी। फतेहपुरी गेट व फतेहपुर रोड पर भी बंद समर्थकों की व्यापारियों व पुलिस से नोंक- झोंक हुई। बंद को 15 से ज्यादा संगठनों ने समर्थन दिया। शाम को मुस्लिम समाज ने भी कैंडल मार्च निकालकर आतंक के खिलाफ आवाज उठाते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी।

बाजार में पसरा सन्नाटा, 80 करोड़ का व्यापार प्रभावित

बंद से शहर के बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा रहा। तबेला बाजार, सालासर रोड, बजाज रोड, स्टेशन रोड, बजरंग कांटा व जयपुर रोड सहित गली-मोहल्लों की दुकानों पर भी सुबह से ताले नहीं खुले। सब्जी व अनाज मंडी भी बंद रही।

ऐसे में पूरे शहर में सन्नाटा सा पसरा रहा। रास्तों से गुजर रहे वाहनों की आवाज ही उस सन्नाटे को चीर रही थी। बंद से प्रभावित इलाकों में करीब 80 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ।

दुकान बंद करवाने पर आमने- सामने हुए दो पक्ष

बंद के दौरान मोहल्ला कारीगरान में बंद समर्थक और कॉलोनीवासी आमने- सामने हो गए। यहां एक

हुई। इसमें परशुराम जन्मोत्सव पर चर्चा कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में पहलगाम में आतंकी हमले की कठोर निंदा करते हुए हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान राजस्थान ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष शिव प्रकाश जोशी, विप्र फाउंडेशन अध्यक्ष विमल चोटिया, प्रेमप्रकाश छकड़ा, पवन बबेरवाल, शंभूप्रसाद पारीक, पवन पीपलवा, गिरधारी चोटिया, नंदू बोचीवाल, दिनेश बिंयाला, किशोर जति, अमित बोचीवाल, योगेश पाराशर, राजकुमार रिणवा, कैलाश चोटिया, राजू पीपलवा, अमित जोशी आदि मौजूद रहे।

ो का चयन

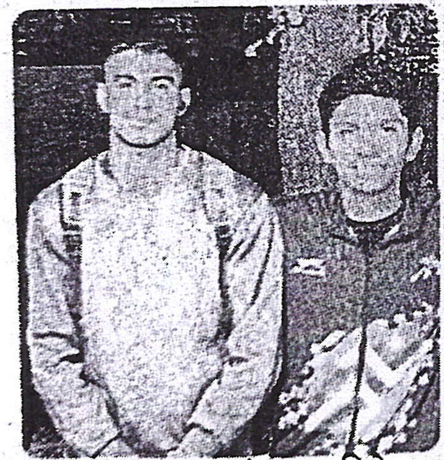

इस अवसर पर संस्थान निदेशक रामनिवास ढाका, सहनिदेशक गोपाल सिंह ढाका, चेयरमैन सुरेन्द्र सिंह, आरबीएसई प्रधानाचार्य विजेन्द्र सिंह, सीबीएसई प्रधानाचार्य शांति प्रसाद नेगी, नर्सिंग प्राचार्य महेश कुमावत, डिग्री कॉलेज प्राचार्य ललित किशोर तंवर, पॉलीटेक्निक प्राचार्य जगदीश सोलंकी व स्टाफ सदस्यों ने चयनित छात्रों का हौसला बढ़ाया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां जीण

पदोन्नति की मांग को लेकर ज्ञापन दिया

सीकर. राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ शाखा धोद की ओर से 5 वर्षों से लंबित पदोन्नतियों के निस्तारण की मांग को लेकर विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, मुख्य सचिव व शासन सचिव के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मांग जल्द पूरी करने की अपील की गई। इस दौरान जिला मंत्री कैलाशचन्द वर्मा, ब्लॉक मंत्री कुलदीप सिंह, शंकरलाल भंवरिया, पंकज मोयल, राकेशकुमार वर्मा, सांवरमल आदि मौजूद रहे।

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone : 01572-248009, e-mail: rorpchstkar@gmail.com

RPCB / RO-Sikar / SIK-PH-023/17/- **Date : 24.04.2025**

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय : मैसर्स गुरुजी माइंस एंड मिनरल्स, खसरा नम्बर 1809, बिन्दाला को दाणी, निकट ग्राम टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा प्रस्तावित मेसेनरी स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसेनरी स्टोन माइनिंग कलस्टर क्षेत्र 9.1388 हेक्टर, आवेदक गुरुजी माइंस एंड मिनरल्स द्वारा प्रस्तावित मेरोनरी माइनिंग परियोजना हैं जिसका प्रस्तावित विस्तार खनन क्षेत्र 4.0418 हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 698000 टीपीए, जो कि खसरा नम्बर 1809, बिन्दाला की ढाणी, निकट ग्राम टोडा तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि गुरुजी माइंस एंड मिनरल्स ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2018 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध हैः-
   i. जिला कलक्टर, सीकर।
   ii. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर।
   iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी जगपुर।
   iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-213, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
   v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, सीकर।
   vi. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
   vii. क्षेत्रीय प्रवर्धक रीको, सीकर।
   viii. ग्राम पंचायत, टोडा तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
   ix. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
   x. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर
   xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सीकर जिला सीकर

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1383 दिनांक 23.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सुचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.05.2025 (सोमवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, टोडा तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/ मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड- 19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

दैनिक उद्योग अ
भार
प्रभात ■ वर्ष : 42 ■ अंक 208 सीकर, शुक्रवार 25 अप्रेल, 2025 सीकर-जयपुर से एक साथ प्र

पहलगाम हमला : सरका

सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा, आतंकी कैंप नष्ट क

नई दिल्ली। पहलगाम हमले को लेकर पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक 2 घंटे चली। इसमें सरकार ने माना कि पहलगाम में सुरक्षा में चूक हुई है। बैठक में विपक्ष के सांसदों ने आतंकी कैंपों को नष्ट करने की मांग की। साथ ही कहा कि सरकार आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाए। सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सभी ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। विपक्ष ने सरकार को कोई भी कार्रवाई करने के लिए पूरा समर्थन दिया है। राहुल गांधी शुक्रवार को कश्मीर के अनंतनाग जाएंगे। वहां हमले में घायल हुए लोगों से मिलेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने विपक्ष को पूरी बात बताई। वहीं इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कहा कि यह बहुत दुखद घटना है... पिछले कई सालों से कश्मीर में लोग शांति से अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थीं और सब बहुत अच्छा हो रहा था... सभी राजनैतिक दलों ने अपने-अपने विचारों को रखा और एक बात सामने आई कि देश को एकजुट होकर और एक आवाज में बोलना चाहिए... सभी पार्टियों ने कहा है कि वे सरकार के साथ है। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद थे। सभी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। हमने कहा कि जम्मू-कश्मीर में शांति बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए...। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, सभी ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। विपक्ष ने सरकार को कोई भी कार्रवाई करने के लिए पूरा समर्थन

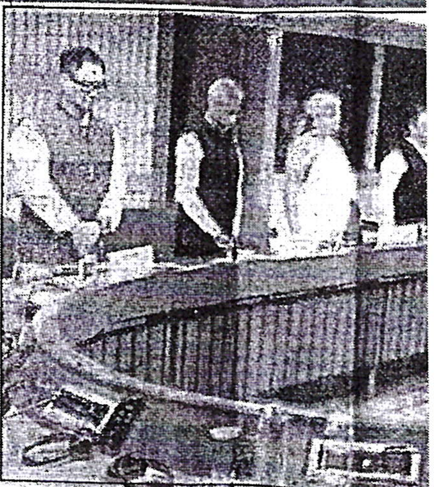

दिया है। सर्वदलीय बैठक के एक दिन पहले सरकार ने पाकिस्तान को निशाना बनाकर कई कदमों की घोषणा की। सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय बुधवार एवं शा किया। किसी अ

राजस्थान में पाक सीमा पर चौकसी, हर हरकत पर कड़ी नजर

बीकानेर। पहलगाम में आतंकी घटना के बाद बॉर्डर एरिया में प्रशासन और पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल को अलर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आंतरिक सुरक्षा और हर छोटी-बड़ी सूचना को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। इसके बाद संभागीय आयुक्त डॉ. रविकुमार सुरपुर ने सीमावर्ती क्षेत्र में आंतरिक

इसमें आईजी ओमप्रकाश, कलक्टर नम्रता वृष्णि, एसपी कावेन्द्र सागर ...

संभागीय आयुक्त डॉ. सुरपुर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा ...

अधिकारी आपसी समन्वय रखकर कार्य करें। प्रत्येक स्थिति पर नजर रखें और सूचनाओं को एक-दूसरे के साथ साझा करें। सोशल मीडिया पर गहन निगरानी रखी जाए। किसी तरह की भ्रामक, आपत्तिजनक टिप्पणी, अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। पहलगाम में हमले के बाद पश्चिमी बार्डर पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। पाकिस्तान से लगती प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर पार की हर हरकत पर नजर ...

च

ल

डूंगरपु अलग-अ का 4 वि रुपए नव ने 4 आर जिनसे सीआई म कि सागव के पास न इस दौरान आ रही प

...हत किए गए
उजागर किया
ली की जाए।
में आज युवा
ाया।
शहर अध्यक्ष
अधिकारियों

रिया
कुचामन)
.04.2025
6
सिटी के
मस्त गावों
रा संग्रहण
ामुदायिक
म श्रेणी के
है। निविदा
v. sppp.
एँ निर्धारित
य समिति

रिया
मन सिटी

व
कुचामन)
2.04.2025
6
टी के लिये
त गावों में
ंग्रहण एवं
क स्वच्छता
संवेदकों व
से संबंधित
n. gov. in
ी उपस्थित
जायेगी।

ष
न सिटी

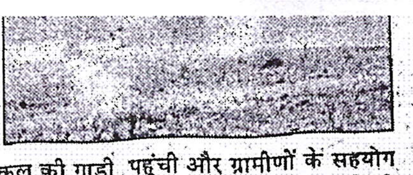

... पटा, खजड़ा आदि नुकसान हुआ समाजसेवी आनंद बागड़ा व अनिल पिलानिया ने तत्परता दिखाते हुए प्रशासन को सूचना दी मौके पर जसवंतगढ़ पुलिस, व दमकल की गाड़ी पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया लाडनूं तहसीलदार अनिरुद्ध देश पांडे ने पटवारी को मौके पर भेज कर किसानों को हुए नुकसान का मौका मुआयना करवाया कसूम्बी के सैकड़ों युवाओं ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल पिलानिया व समाजसेवी आनंद बागड़ा ने की उचित मुआवजे की मांग।

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-240009, e-mail: rpcbsikar@gmail.com

RPCB/RO-Sikar/SIK-PH-023/171 Date:-24.04.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय: मैसर्स गुरुजी माइंस एंड मिनरल्स, खसरा नम्बर 1809, बिन्दाला की ढाणी, निकट ग्राम टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा प्रस्तावित मेसेनरी स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसेनरी स्टॉन माइनिंग कलस्टर क्षेत्र - 9.1366 हेक्टर, आवेदक गुरुजी माइंस एंड मिनरल्स द्वारा प्रस्तावित मेसेनरी माइनिंग परियोजना है जिसका प्रस्तावित विस्तार खनन क्षेत्र 4.0418 हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 698000 टीपीए, जो कि खसरा नम्बर 1809, बिन्दाला की ढाणी, निकट ग्राम टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है, से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि गुरुजी माइंस एंड मिनरल्स, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुशरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -

i. जिला कलक्टर, सीकर।
ii. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर।
iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
v. महा प्रबन्धक, ज़िला उद्योग केंद्र, सीकर।
vi. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर।
vii. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, सीकर।
viii. ग्राम पंचायत, टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
ix. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम टोडा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
x. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सीकर, जिला सीकर

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1383 दिनांक 23.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.05.2025 (सोमवार) को प्रात: 11.30 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों सावधानियो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

भुखण्ड का नियमानुसार उपविभाजन किया ... भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

जन्मतिथि व नाम संशोधन सूचना

मेरे पुत्र संदीप गुर्जर को स्कूल में प्रवेश दिलवाते समय सहवन से जन्म दिनांक 01.01.2011 व पिता का नाम रघुनाथ गुर्जर (RAGHUNATH GURJAR) दर्ज हो गया था जो कि गलत है। जबकि मेरे पुत्र की सही जन्म दिनांक 08.05.2011 एवं मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम रूघनाथ गुर्जर (RUGHNATH GURJAR) दर्ज है, जो सही है। अत: मेरे पुत्र संदीप गुर्जर के स्कूल रिकार्ड में मेरे पुत्र की सही जन्म दिनांक 08.05.2011 एंव पिता का सही नाम रूघनाथ गुर्जर (RUGHNATH GURJAR) दर्ज किया जाये।

रूघनाथ गुर्जर पुत्र भागुराम, निवासी मलकेड़ा, जिला सीकर (राज)

NAME CHANGE

I have changed my name from MANOJ KUMAR TO MANOJ KUMAR KATEWA S/O PHOOL SINGH TO PHOOL SINGH KATEWA for all proposes. R/o Kanwarpura, Post - Bakhtawerpura,
Teh. Chirawa, Distt.- Jhunjhunu
Rajasthan-333023

OFFICE OF GRAM PANCHAYAT BADALWAS PS DHOD

No. 24 Date-24.04.2025

Notice Inviting Bid

Bids for MATERIAL SUPPLY IN GRAM PANCHAYAT BADALWAS PS DHOD FOR MGNREGA AND OTHER SCHEME, AND CC SADAK NIRMAN KARY PURV KI TRAF HARIJANO KE KHET SE RAJPUTO KE KHET KI DHANIYO KI TRAF GRAMV PANCHAYAT BADALWAS 2025-26 18.00PM on 06.05.2025. other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state.

NIB- PIR2526A0014
UBN- PIR2526GLRC00016
UBN- PIR2526WSOB00007

SARPANCH GRAM PANCHAYAT BADALWAS	VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER GRAM PANCHAYAT, BADALWAS

OFFICE OF GRAM PANCHAYAT KANWARPURA PS DHOD

No. 47 Date-24.04.2025

Notice Inviting Bid

Bids for MATERIAL SUPPLY IN GRAM PANCHAYAT KANWARPURA PS DHOD FOR MGNREGA AND SINGLE PHASE TUBWELL NIRMAN KARY SAMSAN BHUMI KE PASS MALIYO KI DHANI BALRAMPURA GRAM PANCHAYAT KANWARPURA 2025-26 are invited from interested bidders up to 18.00PM on 06.05.2025. other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state.

NIB- PIR2526A0013
UBN- PIR2526GLRC00014
UBN- PIR2526WSOB00015

SARPANCH GRAM PANCHAYAT KANWARPURA	VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER GRAM PANCHAYAT, KANWARPURA